न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—143 / 20 (2020 / 00280) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मुकेश पिता सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर
2. आनन्दी पुत्री सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर
3. गीता पत्नि सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शांन्तिलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नंदलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चम्पालाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हीरालाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगीलाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. महावीर पिता कन्हैयालाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मनोज पिता कन्हैयालाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामपाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 284 में अकिंत आराजी संख्या 395 रकबा 0.87 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 15.06.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 19.11.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 2, 4 व 6 लगायत 10 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 3 व 5 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

ओर से जवाब प्रस्तुत किया गय जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 3 व 5 ने अपने जवाब में अकंन किया कि आराजी संख्या 395 रकबा 0.87 है0 भूमि वर्तमान में नवीन नक्शे में जहां अकिंत है उस जगह विपक्षीगण वर्षो से काबिज है। आराजी संख्या 395 के पास विपक्षीगण की अन्य आरायिजाज स्थित है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजियात में कभी दंखलदांजी नही की है। अन्य कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रर्थीगण के पिता सुखा हरिजन को दिनांक 03.09.1978 को साबिक आराजी संख्या 123, 124/1 रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन हुई। नामान्तरण भी उनके नाम फैसल किया गया लेकिन मौके पर कब्जा सिपुर्द नही किया गया केवल मात्र रेकार्ड में ही रकबा आंवटन कर दिया। सुखा हरिजन ने एक प्रार्थना पत्र 136 के तहत् प्रस्तुत किया साबिक एवं नवीन रेकार्ड में दुरस्ती करवाई जिसका आदेश दिनांक 15.06.2005 को हुआ उक्त आदेश होने के उपरान्त आदेश का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में नही किया गया। जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो कब्जे के अभाव में खारीज योग्य है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही होने से एवं नवीन तथा साबिक रेकार्ड में गलत रूप से तरमीम होने से विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन करने पर पाया कि प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 284 में अकिंत आराजी संख्या 395 रकबा 0.87 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु—अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.1.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Kg, 111,128

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—143/20 (2020/00280) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मुकेश पिता सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर
2. आनन्दी पुत्री सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर
3. गीता पत्नि सुखा हरिजन निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर हाल उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शांन्तिलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नंदलाल पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रकाश पिता किशनलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चम्पालाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हीरालाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मांगीलाल पिता गोकल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. महावीर पिता कन्हैयालाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मनोज पिता कन्हैयालाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामपाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी रेवाड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 05.01.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम रेवाड़ा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 284 में अकिंत आराजी संख्या 395 रकबा 0.87 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

21.01.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Kg, 111,128

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 14:06:36 IST
Reason: SelfAttested